रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2011/आषाढ़ 31, 1933
No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2011/ASADHA 31, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 562(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में, अध्यक्ष के पद से संबंधित क्रम संख्यांक (1) के सामने, स्तंभ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(12)
"प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ऐसे सदस्य, जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं, अर्थात् :— (i) केन्द्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर प्रशासन को चलाने का कम से कम बीस वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की क्षेत्र विरचनाओं में कम से कम दस वर्ष का अनुभव; (ii) उच्च वृत्तिक, योग्यता और उत्कर्ष; और (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा। टिप्पण :—आवेदन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी।

[फा. सं. ए-50050/16/2009-प्रशा. I]

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 44(अ), तारीख 2 फरवरी, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 875(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2011

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Board of Direct Taxes (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Board of Direct Taxes (Chairman and Members) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Board of Direct Taxes (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006, against serial number (1) relating to the post of Chairman, in column (12), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

(12)

"Deputation/Absorption

Members of the Central Board of Direct Taxes, possessing the following essential qualifications, namely :—

(i) having at least twenty years' of experience in administering and running the direct tax administration in the Central Government with at least ten years' of experience in the field formations of the Central Board of Direct Taxes;

(ii) having high professional merit and excellence; and

(iii) having impeccable reputation of integrity.

Note:—The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years as on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption".

[F. No. A-50050/16/2009-Ad. I]

V. SREEKUMAR, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 44(E) dated 2nd February, 2006 and were amended vide number G.S.R. 875 (E) dated 24th December, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 563(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में, अध्यक्ष के पद से संबंधित क्रम संख्यांक (1) के सामने, स्तंभ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(12)

"प्रतिनियुक्ति/आमेलन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के ऐसे सदस्य, जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को चलाने का कम से कम बीस वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की क्षेत्र विरचनाओं में कम से कम दस वर्ष का अनुभव;

(ii) उच्च वृत्तिक, योग्यता और उत्कर्ष; और

(iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा ।

टिप्पण :—आवेदन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी ।

[फा. सं. ए-50050/16/2009-प्रशा. I]

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. 45(अ), तारीख 2 फरवरी, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 874(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2011

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Board of Excise and Customs (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Chairman and Members) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Board of Excise and Customs (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006, against serial number (1) relating to the post of Chairman, in column (12), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

(12)

"Deputation/Absorption

Members of the Central Board of Excise and Customs, possessing the following essential qualifications, namely :—

(i) having at least twenty years' of experience in administering and running the indirect tax administration in the Central Government with at least ten years' of experience in the field formations of the Central Board of Excise and Customs;

(ii) having high professional merit and excellence; and

(iii) having impeccable reputation of integrity.

Note :—The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years as on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption".

[F. No. A-50050/16/2009-Ad. I]

V. SREEKUMAR, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 45 (E) dated 2nd February, 2006 and were amended vide number G.S.R. 874 (E) dated 24th December, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.